राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी अलवर राज0

राजस्व प्र0 सं0 –01/16/2019 दर्ज तिथि– 30/01/2019 निर्णय तिथि– 08.12.2021

अनुवान– जगदीश प्रसाद पुत्र रामजीलाल उम्र 45 साल जाति बैरवा निवासी ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर राज0
– वादी

बनाम

01. मुक्ताप्रसाद पुत्र नारायण सहाय उम्र 60 साल जाति महाजन
02. मातादीन पुत्र नारायण सहाय उम्र 55 साल जाति महाजन
03. जगदीश पुत्र नारायण सहाय उम्र 52 साल जाति महाजन
समस्त निवासीयान बामनवास चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
– असल प्रतिवादीगण

04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ,भू –स्वामी थानागाजी जिला अलवर राज0
– तकमीली प्रतिवादी

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)
वादीगण अधिवक्ता – श्री मुरारीलाल ।
असल प्रतिवादी अधिवक्ता – कोई उपस्थि नही ।

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा – 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– तारीख 08.12.2021

आज यह पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों कें संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र किशोरी तहसील थानागाजी पर वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार से है–

01. यह है कि बरूये खाता संख्या 392 आराजी खसरा नम्बर 2291 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में आराजी स्थित चली आती है। उक्त आराजीयात् वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित की गई है।
02. यह है कि विवादित आराजी वादी व असल प्रतिवादीगण की सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी मे वादी का 9/22 हिस्सा व असल प्रतिवादीगण का 13/22 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी आराजी में चला आता है। जैसा कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से प्रमाणित होता है।
03. यह है कि वादी ने उपरोक्त हिस आराजी पूर्व खातेदार राकेश कक्कड पुत्र मोतीलाल कक्कड से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कीमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। जिस आराजी का वादी के नाम बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 654 दर्ज मंजूर हो चुका हैं । वादी अपनी विवादित हिस्सा आराजी पर बरोज खरीद से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आज भी मौके पर वादी का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। वादी के हिस्सा आराजी से असल प्रतिवादीगण का या अन्य किसी का कोई हक व संबंध किसी प्रकार का नही है।
04. यह है कि उपरोक्त विवादित आराजी वादी व असल प्रतिवादीगण की मुताबिक रिकॉर्ड शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । जिसमें प्रत्येक इंच इंच पर वादी व असल प्रतिवादीगण का शामलात में कब्जा काश्त खातेदारी का चला आता है और मौके पर वादी व असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज है। विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में विधिक तकासमा नही हुआ है। वादी अकेला शान्ति प्रिय व्यक्ति है। असल प्रतिवादीगण जो बडे ही लड़ाकू व मूठमर्द किस्म के व्यक्ति है ,जो वादी के विवादित हिस्सा आराजी पर जबरन लठ के बल पर कब्जा करना चाहते है एंव वादी को उक्त हिस्से आराजी से बेदखल करना चाहते है तथा वादी के कुल कार्य काश्त करने मं एव उपयोग –उपभोग करने में बाधा डालते

Scanned by CamScanner